बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: संकल्प ::–

पटना–15, दिनांक.........................

श्रीमती वंदना कुमारी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–704/2023 (864/2019), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 12.08.2024 को लगभग 01.00 बजे पूर्वाह्न में बराबर पहाड़ स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण के पास स्थानीय दुकानदारों तथा श्रद्धालुओं के बीच हुए विवाद में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण 07 श्रद्धालुओं की मौत एवं कई श्रद्धालुओं के घायल होने तथा विधि व्यवस्था के संधारण में जिला पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–28 (मु०) दिनांक 27.08.2024 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–15045 दिनांक 20.09.2024 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्रीमती कुमारी का स्पष्टीकरण (दिनांक 15.10.2024) प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती कुमारी द्वारा अपने कर्त्तव्य को गम्भीरता से नहीं लिया गया और लापरवाही बरती गयी है। अतएव उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए मामले की वृहत जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक–18573 दिनांक 20.11.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया जी के पत्रांक–183 दिनांक 13.01.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को अप्रमाणित पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन के मंतव्य में उल्लेख किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी दिनांक 11.08.2024 को सिपाही भर्ती परीक्षा हेतु गोपनीय सामग्री जिला कोषागार से प्राप्त कर परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचाने एवं पुनः वापस कोषागार पहुँचाने में व्यस्त रहीं तथा वे दैनिक दिनचर्या हेतु आवास गयी, जहाँ उनकी बीमारी के लिए परामर्शित दवा का सेवन के कारण एवं थकान के कारण उन्हें नींद आ गयी और वे उक्त तिथि को अर्थात दिनांक 11/12.08.2024 को 10.00 बजे अपराह्न से 06.00 बजे पूर्वाह्न के लिए निर्धारित अवधि के लिए वाणावर मेला के नियंत्रण कक्ष में नहीं जा सकी। बीमारी के कारण आरोपी पदाधिकारी का दिनांक 02.01.2025 को शल्य चिकित्सा भी हुई है। इस कारण आरोपी पदाधिकारी का तबीयत खराब होने के वजह से दुर्घटना की तिथि को नियंत्रण कक्ष में न पहुँच पाना परिस्थितिजन्य था, किन्तु आरोपी पदाधिकारी को परामर्शित दवा का प्रभाव का पता होगा, यदि उन्हें दवा का इस प्रकार असर ज्ञात था तथा दवा लेना अपरिहार्य था तो इन्हें अपनी अनुपस्थिति के संबंध में तत्काल सूचना जिला पदाधिकारी अथवा किसी अन्य वरीय पदाधिकारी को भी दी जानी चाहिए थी किन्तु श्रीमती कुमारी द्वारा किसी पदाधिकारी को सूचना नहीं दी गयी।

जहाँ तक आरोपी पदाधिकारी के अनुपस्थिति से दुर्घटना होने एवं बचाव कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न है, इस संबंध में वस्तुतः ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ

जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आरोपी पदाधिकारी के नियंत्रण कक्ष में उपस्थित होने से दुर्घटना को नियंत्रित किया जा सकता था। वस्तुतः दुर्घटना अत्यधिक भीड़ एवं स्थानीय दुकानदारों एवं श्रद्धालुओं के बीच विवाद के कारण हुआ था, जो अप्रत्याशित था। सुनवाई के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना के तुरन्त बाद स्थिति नियंत्रित की जा चुकी थी। इस कारण नियंत्रण कक्ष में आरोपी पदाधिकारी के अनुपस्थिति से दुर्घटना होने एवं उसके बाद के बचाव कार्य वगैरह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है तथा संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को अप्रमाणित पाया है।

5. तदुपरांत पूरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्रीमती वंदना कुमारी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–704/2023 (864/2019), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–18573 दिनांक 20.11.2024 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ इस मामले को समाप्त किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/आरोप–01–15/2024 सा०प्र०, 6577 **/पटना, दिनांक** 13.4.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/श्रीमती वंदना कुमारी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–704/2023 (864/2019), विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं 29/आई॰टी॰ मैनेजर (विभागीय वेबसाईट (मुख्य शीर्ष–09) पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.4.26

सरकार के अवर सचिव।

Path- E:\New folder -08\J.P SIR New\Sanklap.docx